आबकारी इन्टैलिजेन्स ब्यूरो स्टाफ व इसकी शक्तियाँ :–

आबकारी इन्टैलिजेन्स ब्यूरो, आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर एक संयुक्त आबकारी आयुक्त के अधीन कार्य करता है। संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त के निर्देशन व नियन्त्रण में कार्य करता है। उसको अपने कार्यपालक प्रशासकीय कार्यों में एक आबकारी उपायुक्त व एक आबकारी निरीक्षक सहायता करते हैं। ब्यूरो में तैनात अधिकारियों व आबकारी निरीक्षक का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राज्य तक विस्तारित है तथा आबकारी विभाग द्वारा प्रशासित किसी भी अधिनियम के अधीन आबकारी दुकानों के निरीक्षण, तलाशी, गिरफ्तारी, जांच पड़ताल के संबंध में वे क्रमशः संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी उपायुक्त, सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करते हैं । आबकारी निरीक्षक, ब्यूरो के कार्यालय का प्रभारी भी होता है जिसपर अपने कार्य के साथ साथ, ब्यूरो पर तैनात सहायकों के कार्य के पर्यवेक्षण का भी प्रभार होता है ।

सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन, उप आबकारी आयुक्त/आबकारी इन्टैलीजेन्स ब्यूरो के निर्देशन व नियन्त्रण के अधीन कार्य करता है।

वर्तमान में स्टाफ की कमी के कारण सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक पद रिक्त हैं ।

ब्यूरो के कृत्य

ब्यूरो के उद्‌देश्य में, राज्य के विभिन्न जनपदों व अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों व स्वयं एवं स्वापक इन्टैलिजैन्स ब्यूरो के मध्य आबकारी विभाग द्वारा प्रशासनिक कानूनों के विरूद्ध अपराधों व तस्करों से संबंधित आबकारी आंकड़ो व सूचना का संग्रह, समाकलन व प्रसारण सम्मिलित है। इस प्रयोजन हेतु अपराधिक इन्टैलिजैन्स गजट के साथ एक मासिक आबकारी परिशिष्ट का ब्यूरो द्वारा प्रकाशन व सभी संबंधित लोगों को इसकी आपूर्ति प्रस्तावित है ।

ब्यूरो पर मादक पदार्थों, अफीम व अन्य स्वापक औषधियों के अन्तर्राज्यीय थोक तस्करों को खोजने तथा महत्वपूर्ण मामलों का पता लगाने व जांच पड़ताल के उत्तरदायित्व का भी प्रभार है ।

अपराध से संबंधित सूचना व आंकड़ों के रखरखाव व प्रसारण के अतिरिक्त, यह ब्यूरो मादक पदार्थों की वैध खपत के रूझान पर लगातार नजर रखता है तथा इस प्रकार राज्य के प्रत्येक मद्य निवारक क्षेत्र में आबकारी राजस्व पर भी नजर रखता है। यह सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा आदेशित विभागीय कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच की प्रगति पर भी नजर रखता है तथा इसके द्वारा आबकारी राजस्व में लीकेज के परिनिर्धारण हेतु कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये व आबकारी प्रशासन चुस्त बनाने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर किये गये विभिन्न उपायों को व्यवस्थित किया जाता है ।

ई0आई0बी0/प्रवर्तन अनुभाग–

- परिवाद संबंधी समस्त कार्य यथा शिकायतों का निस्तारण, विभागीय जांच, सतर्कता जांच आदि से संबंधित समस्त कार्य।
- जनपद स्तर पर विभागीय प्रवर्तन कार्यवाही, उपभोग, अभियोगों की समीक्षा एवं मानिटरिंग।
- एम0डी0ओ0 की सूचना संकलन/प्रेषण संबंधी कार्य।
- करापवंचना, विधि जांचों की समीक्षा व निस्तारण।
- प्रवर्तन इकाइयों की मानिटरिंग, मुख्यालय से संचालित किये जाने वाले समस्त प्रवर्तन अभियानों की रूपरेखा तय करना एवं मानिटरिंग।
- विशेष प्रवर्तन अभियानों की समीक्षा, मदिरा की दुकानों का निरीक्षण एवं समीक्षा व नियंत्रण।
- 10–डी–आबकारी आबजैक्शनल एडवरटाइजमेन्ट अधिनियम 1976 के अन्तर्गत नियंत्रण संबंधी कार्य।

उप आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0/प्रवर्तन)

इनके अधीन ई0आई0बी0/प्रवर्तन अनुभाग से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जायेगा जो निम्न प्रकार हैः–

- परिवाद संबंधी समस्त कार्य यथा शिकायतों का निस्तारण, विभागीय जांच, सतर्कता जांच आदि से संबंधित समस्त कार्य।
- जनपद स्तर पर विभागीय प्रवर्तन कार्यवाही, उपभोग, अभियोगों की समीक्षा एवं मानिटरिंग।
- एम0डी0ओ0 की सूचना संकलन/प्रेषण संबंधी कार्य।
- करापवंचना, विधि जांचों की समीक्षा व निस्तारण।
- प्रवर्तन इकाइयों की मानिटरिंग, मुख्यालय से संचालित किये जाने वाले समस्त प्रवर्तन अभियानों की रूपरेखा तय करना एवं मानिटरिंग।
- विशेष प्रवर्तन अभियानों की समीक्षा, मदिरा की दुकानों का निरीक्षण एवं समीक्षा व नियंत्रण।
- 10–डी–आबकारी आबजैक्शनल एडवरटाइजमेन्ट अधिनियम 1976 के अन्तर्गत नियंत्रण संबंधी कार्य।

जाँच चौकियाँ :–

मादक पदार्थों, स्वापकों, शीरों व स्पिरिट्स के अवैध दुर्व्यापार तथा तस्करी को रोकने के लिये राज्य की अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर 13 जाँच चौकियाँ स्वीकृत हैं । प्रत्येक जाँच चौकी पर अधीनस्थ स्टाफ के साथ एक आबकारी निरीक्षक/उप आबकारी निरीक्षक तैनात किये जाने के पद स्वीकृत है। परन्तु वर्तमान में अधीनस्थ स्टाफ की कमी के कारण जांच चौकियों में पद रिक्त चल रहे है।